पत्रांकः– वन भूमि–87 / 2020..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉग वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव "कार्यपालक अभियांता, बुडको" सुपौल द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–190(ई०) दिनांक–16.02.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.2 अंकित किया गया है।

विषयांकित परियोजना क्रियान्वयन में सुपौल बस स्टैण्ड से गौरवगढ़ चौक तक कि भूमि अधिसूचित वनभूमि कि श्रेणी में आते है। उक्त परियोजना निर्माण स्थन पर कुल 177 वृक्ष अवस्थित है, जिसमे से 18 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है शेष 159 पौधों को परियोजना निर्माण के क्रम में पुनस्थापित कर बचाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में मात्र 18 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए तत्संबंधी टोपो सीट एवं Geo-referenced Map संलग्न है। विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 0.09 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 56,340/–(छप्पन हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (18) के दस गुणे अर्थात 180 पौधों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1148/– (एक हजार एक सौ अड़तालीस रूपये) मात्र प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–87/2020...../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियांता, बुडको, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–87/2020 1195(10)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 05/10/2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

5/10/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी